

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं० हक) बिहार,
वीरचंद पटेल मार्ग, पटना।

/पटना, दिनांक—

विषय :- विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन 38 (अड़तीस) जिलों में संचालित 38 (अड़तीस) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के सातवें सेमेस्टर के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को बिहार सरकार के अधीन विभिन्न विभागों एवं उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगम/ बोर्ड/सोसाईटी में संचालित परियोजनाओं अंतर्गत इंटर्नशिप किये जाने हेतु वर्तमान में पंजीकृत कुल 5827 (पाँच हजार आठ सौ सत्ताईस) छात्र-छात्राओं के लिए प्रति छात्र रू० 10,000.00 (दस हजार रुपये) मात्र अर्थात् कुल रू० 5,82,70,000.00 (पाँच करोड़ बेरासी लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में संबंधित संस्थानों को विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

राज्य सरकार ने दिनांक-11.02.2026 को आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति एवं दिनांक-13.02.2026 को आयोजित स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक में की गयी अनुशंसा के आलोक में विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन 38 (अड़तीस) जिलों में संचालित 38 (अड़तीस) राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों के सातवें सेमेस्टर के अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को बिहार सरकार के अधीन विभिन्न विभागों एवं उसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन निगम/बोर्ड/सोसाईटी में संचालित परियोजनाओं अंतर्गत इंटर्नशिप किये जाने हेतु वर्तमान में पंजीकृत कुल 5827 (पाँच हजार आठ सौ सत्ताईस) छात्र-छात्राओं के लिए प्रति छात्र रू० 10,000.00 (दस हजार रुपये) मात्र अर्थात् कुल रू० 5,82,70,000.00 (पाँच करोड़ बेरासी लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में संबंधित संस्थानों को संलग्न विवरणी के अनुसार विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की है।

2. उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मांग सं०-43 के अन्तर्गत "मुख्यशीर्ष-2203- तकनीकी शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-112- इंजीनियरी/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान, उप शीर्ष-0101- स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम" के विषयशीर्ष 34 02- प्रोत्साहन में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा जिसका विपत्र कोड 43-2203001120101 है।

3. उक्त स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित संस्थान के प्राचार्य होंगे।

4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला समाहरणालय कोषागार से की जायेगी।

5. निकासी की जाने वाले राशि का व्यय, बिहार वित्त नियमावली, बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली-2024 एवं वित्त विभाग के विभिन्न पत्रों एवं निदेशों के आलोक में की जाएगी।

6. विमुक्त हेतु स्वीकृत राशि की निकासी, विभाग के लिए संसूचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन निर्गत आवंटन तक सीमित रहेगा।

7. यह आदेश वित्त विभाग के संकल्प संख्या-12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में सक्षम स्वीकृति प्राधिकार का अनुमोदनोपरांत आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जाता है तथा आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं०- वि०प्रा० एवं त०शि० (X) प्रशिक्षण-02 / 2024 के पृ० 73/टि० पर प्राप्त है।

8. प्राचार्यों को निदेश दिया जाता है कि विभागीय संकल्प सं०-5377, दिनांक-05.10.2025 के कंडिका-6 में उल्लेखित शर्त के अनुसार राशि छात्र/छात्राओं को उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जायेगी।

9. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 वि (2), दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इस योजना के लिए प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(कुमार सिद्धार्थ)

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- वि०प्रा० एवं त०शि० (X) प्रशिक्षण-02/2024

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक - वि०प्रा० एवं त०शि० (X) प्रशिक्षण-02/2024

प्रतिलिपि- अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- वि०प्रा० एवं त०शि० (X) प्रशिक्षण-02/2024

प्रतिलिपि- सभी जिला समाहरणालय कोषागार, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- वि०प्रा० एवं त०शि० (X) प्रशिक्षण-02/2024

प्रतिलिपि- प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य सभी अभियंत्रण महाविद्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के संयुक्त सचिव

/पटना, दिनांक-

ज्ञापांक- वि०प्रा० एवं त०शि० (X) प्रशिक्षण-02/2024 - 952

प्रतिलिपि- माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी (M)/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/आई.टी. मैनेजर (E-mail एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु), विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Kumar Singh

सरकार के संयुक्त सचिव

बिहार सरकार
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

विभागान्तर्गत संचालित 38 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में सातवें सेमेस्टर के अध्ययनरत एवं इंटर्नशिप हेतु पंजीकृत छात्र-छात्राओं के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में योजना मद के अधीन विषयशीर्ष 34 02 प्रोत्साहन में प्रति छात्र रू० 10,000'00 मात्र की स्वीकृति/विमुक्ति राशि की विवरणी -

राशि (रुपये में)

| क्र० सं० | संस्थानों के नाम | पंजीकृत छात्रों की संख्या | कुल स्वीकृति/विमुक्ति राशि |
|----------|--|---------------------------|----------------------------|
| | बी०पी० मंडल अभियंत्रण महाविद्यालय, मधेपुरा | 141 | ₹ 14,10,000.00 |
| | बख्तियारपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, बख्तियारपुर | 202 | ₹ 20,20,000.00 |
| | भागलपुर अभियंत्रण महाविद्यालय, भागलपुर | 190 | ₹ 19,00,000.00 |
| | दरभंगा, अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा | 178 | ₹ 17,80,000.00 |
| | गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया | 212 | ₹ 21,20,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, अरवल | 164 | ₹ 16,40,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, औरंगाबाद | 148 | ₹ 14,80,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बाँका | 127 | ₹ 12,70,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, आरा (भोजपुर) | 123 | ₹ 12,30,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बक्सर | 117 | ₹ 11,70,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोपालगंज | 104 | ₹ 10,40,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जमुई | 159 | ₹ 15,90,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, जहानाबाद | 165 | ₹ 16,50,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, कैमूर | 96 | ₹ 9,60,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, खगड़िया | 160 | ₹ 16,00,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, किशनगंज | 93 | ₹ 9,30,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, लखीसराय | 180 | ₹ 18,00,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, मधुबनी | 130 | ₹ 13,00,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, मुंगेर | 160 | ₹ 16,00,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, नवादा | 156 | ₹ 15,60,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, समस्तीपुर | 150 | ₹ 15,00,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, शेखपुरा | 104 | ₹ 10,40,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, शिवहर | 94 | ₹ 9,40,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, सीवान | 135 | ₹ 13,50,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, वैशाली | 126 | ₹ 12,60,000.00 |
| | राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पश्चिम चंपारण | 140 | ₹ 14,00,000.00 |

(Handwritten signature)

| क्र० सं० | संस्थानों के नाम | पंजीकृत छात्रों की संख्या | कुल स्वीकृति/विमुक्ति राशि |
|----------|---|---------------------------|----------------------------|
| | कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार | 168 | ₹ 16,60,000.00 |
| | लोकनायक जय प्रकाश प्रौद्योगिकी संस्थान, छपरा | 204 | ₹ 20,40,000.00 |
| | मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी | 175 | ₹ 17,50,000.00 |
| | मुजफ्फरपुर इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुजफ्फरपुर | 185 | ₹ 18,50,000.00 |
| | नालन्दा कॉलेज ऑफ इंजी, चण्डी (नालन्दा) | 247 | ₹ 24,70,000.00 |
| | पूर्णिया अभियंत्रण महाविद्यालय, पूर्णिया | 189 | ₹ 18,90,000.00 |
| | राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर अभियंत्रण महाविद्यालय, बेगूसराय | 168 | ₹ 16,80,000.00 |
| | सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय, सहरसा | 129 | ₹ 12,90,000.00 |
| | शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम | 184 | ₹ 18,40,000.00 |
| | श्री फणीश्वर नाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय, अररिया | 90 | ₹ 9,00,000.00 |
| | सीतामढ़ी इंस्टीच्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सीतामढ़ी | 209 | ₹ 20,90,000.00 |
| | सुपौल अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल | 127 | ₹ 12,70,000.00 |
| | कुल योग :- | 5827 | ₹ 5,82,70,000.00 |


 (कुमार सिद्धार्थ)
 संयुक्त सचिव

— 1304


